संख्या-234 /2023/2096/002-23-9-2023-23-9002-002-87-2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2023**

विषय -वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-57/83 मद में विभिन्न जनपदों के 07 दीर्घ सेतु एवं 03 रेल उपरिगामी सेतु कार्य अर्थात 10 चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 07 दीर्घ सेतु एवं 03 रेल उपरिगामी सेतु कार्य अर्थात 10 चालू कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 12457.40 लाख (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 9815.18 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 2642.22 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

तालिका-क (दीर्घ सेतु का प्रस्ताव) **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष (प्राविधिक लागत के सापेक्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6185/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / SAH/2023-24 Dt- 21-09-2023	सेतु निगम सहारनपुर	ग्राम आल्हणपुर से सोन्धेबांस मार्ग पर यमुना नदी सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण।	89/2023/644/23-9-23/23-9099-99/22/2022- **दिनांक-** 25-03-2023	4890.55 4890.55 **4886.68**	3.87	4886.68	1222.64	3664.04	1733.97	466.78	**2200.75**
2	6185/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / SAH/2023-24 Dt- 21-09-2023	सेतु निगम मुजफ्फर नगर	ग्राम काटका एवं मंदौड़ के मध्य ऊपरी गंग नहर पर निर्मित क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर नये सेतु, पहुंच	88/2023/632/23-9-23/001-23-9002(002)/3/2023- **दिनांक-** 23-03-	858.24 857.26 857.26	0.98	857.26	429.12	428.14	337.33	90.81	**428.14**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	2023								
3	6176/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / PRJ/2023-24 Dt- 21-09-2023	सेतु निगम फतेहपुर	जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड-भिटौरा के बलखण्डी घाट(ओम घाट) से बेरूआ होते हुए ग्राम रालपुर जनपद रायबरेली के मध्य गंगा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	190/2022 /आई0/1700/2022/23-9002(002)/58/2021-9/ 2022- दिनांक- 26-12-2022	11547.91 11547.91 11547.91	0.00	11547.91	2886.98	8660.93	4094.37	1102.19	5196.56
4	6176/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / PRJ/2023-24 Dt- 21-09-2023	सेतु निगम प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में नारी बारी-कोरॉव मार्ग पर क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट के बगल में टोंस नदी पर 02 लेन सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	161/2020/1057/23-9-2020-08नाबार्ड (सेतु)/2019- दिनांक- 11-12-2020	6256.23 6215.42	0.00	6215.42	5902.61	312.81	246.46	66.35	**312.81**
5	6182/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/BAN/2023-24 Dt- 21-09-2023	सेतु निगम महोबा	बिलराया-पनवाड़ी मार्ग(राज्य मार्ग सं0-21) के चैनेज सं0- 442.10 से 448.680 तक 04 लेन चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत जनपद महोबा में राठ-पनवारी मार्ग के किमी-444 पर स्थित नकरा नाला पर दीर्घ सेतु एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	189/2022/आई0/1688/2022/23-9002(002)/62/2021-9/2022 - दिनांक- 23-12-2022	853.96 853.96	0.00	853.96	426.98	426.98	336.42	90.56	426.98
6	6178/CESEB/NABARD(BRIDGE)/JHA /2023-24 Dt-	सेतु निगम जालौन	जनपद जालौन में विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत बिलराया- पनवाड़ी (राज्य मार्ग सं0-21) के किमी0-365 पर कुकरगांव	188/2022/आई0/1687/2022/239002(002)/61/2021-9/2022- दिनांक-23-12-2022	790.90 757.73 757.73	0.00	757.73	395.45	395.44	285.43	76.84	362.27

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	21-09-2023		के पास नून नाले पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।									
7	6183/CESEB/NABARD(BRIDGE)/BAS/2023-24 Dt-21-09-2023	सेतु निगम बस्ती	जनपद बस्ती में विकास खण्ड सल्टौआ के वाल्टरगंज-टिनिच मार्ग बारहछत्तर धाम पर कुआनों नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य।	165/2020/961/23-9-2020-14नाबार्ड/(सेतु)2020 टी0सी0-दिनांक-16-12-2020	1458.24 1280.20	178.04	1102.16	656.21	623.99	351.36	94.59	445.95
			योग (तालिका-क)							7385.34	1988.12	9373.46

तालिका-(ख) रेलवे उपरिगामी सेतु- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत मूल लागत/ प्राविधिक स्वीकृति \(सेतु निगम अंश)	रेलवे का अंश	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6176/CESEB/NABARD (BRIDGE) / PRJ/2023-24 Dt- 21-09-2023	सेतु निगम प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में जगतपुर के निकट इलाहाबाद-वाराणसी मार्ग पर रेल सम्पार सं0-60 स्पेशल के रेल किमी 305/0-1 पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य	12/2022/आई0/130584/2022-23-9002(002)/4/2021-दिनांक-08-01-2022	6667.56 4972.19 5000.36	1667.20	3729.13	28.17	2910.26	783.53	210.92	994.45
2	6176/CESEB/NABARD (BRIDGE) / PRJ/2023-24 Dt- 21-09-2023	सेतु निगम प्रयागराज	उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद-मुगलसराय रेलवे सेक्शन के कि0मी0-815/19-21 में छिवकी-करछना रेलवे स्टेशन के मध्य रेल सम्पार सं0-34ए	99/2023/आई0/671/23-9-2023/001-23-9002(002)/12/2022-दिनांक-27-03-2023	6070.41 3946.18 4188.09	1882.32	1047.02	241.91	4781.48	1351.49	363.82	1715.31

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत मूल लागत/ प्राविधिक स्वीकृति \(सेतु निगम अंश)	रेलवे का अंश	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य।									
3	6180/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/MRT /2023-24 Dt-21-09-2023	सेतु निगम बागपत	जनपद बागपत में उत्तर रेलवे के दिल्ली--शामली-शाहदरा सहारनपुर सेक्शन के किमी0 48/8-9 के अन्तर्गत बडौतमेरठ - मार्ग पर बडौत रेलवे स्टेशन के निकट सम्पार - संख्या48टी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	09/2022/आई/130016/2022-23-9099/3774/2020-दिनांक-06-01-2022	3029.87 2510.22 2644.78	385.09	1882.70	134.56	1012.61	294.82	79.36	374.18
			योग (तालिका-ख)							2429.84	654.10	3083.94
			योग (तालिका-क+ख)							9815.18	2642.22	12457.40

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च,2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड आवश्यक सूचनाओं का परीक्षण पुन: कर लिया जायेगा। यदि सूचनाओं में कोई विसंगति होती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा इस विसंगति के लिए मुख्यालय/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय(1) रुपये 98,15,18,000 (रूपये अठ्ठानबे करोड़ पन्द्रह लाख अठ्ठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ.के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 26,42,22000 (रुपये छब्बीस करोड बयालिस लाख बाइस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-083 लेखा शीर्षक 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या-234/2023/2096(1)/002-23-9-2023-23-9002-002-87-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
13- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
14- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
15- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
16- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
17- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in